बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–91 / 2023

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक–02 / आ. पटना, दिनांक–02-01-2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा **सिविल अपील सं0–18802 / 2017**, डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विचार मंच, बिहार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य संबद्ध **SLP(C) NO.-18294** आशीष रजक बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को राज्य सरकार के संकल्प संख्या– 9532, दिनांक–01.07.2015 को निरस्त करते हुए तांती(ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–12679, दिनांक–09.08.2024 द्वारा तांती(ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से विलोपित कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन सं0–02 / 23, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक–27.09.2023 से 11.12.2023 तक प्राप्त किया गया है। उक्त परीक्षा में आवेदन करने वाले तांती(ततवा) जाति के आवेदक जो आवेदन के समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, वर्तमान में वे आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में पुनर्स्थापित हो गये हैं। तदालोक में उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले तांती(ततवा) जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि **वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र बनवा लें।** संबंधित आवेदकों से क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आयोग का पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा।

अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाईट https://bssc.bihar.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

02/01/2025

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।